



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 407 राँची, मंगलवार,

11 जुलाई, 2023 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

संकल्प

16 जून, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-70/2018-21688 (HRMS)--**चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-141/20, द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरातु, रामगढ़ के विरुद्ध ऑनलाईन दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखने, जिला स्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने, अनियमित जमाबंदी को सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन रैयतों के साथ नियमितिकरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने, भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, अभद्र व्यवहार करने, राज्य स्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने, मुख्यमंत्री जनसंवाद अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने, एकल खिड़की के तहत मामला लंबित रखने, राज्यपाल/मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त मामले के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं कर सरकार के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री तिकी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री तिकी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री तिकी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री तिकी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.        | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | AJAY KUMAR<br>TIRKI<br>20080400100 | श्री अजय कुमार तिकी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-141/20, द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरातु, रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अजय कुमार तिकी, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**रंजीत कुमार लाल,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601

-----